कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हापुड़।

पत्रांक 18089 / न्याय सहायक–डी0एम0–हापुड़/2020 दिनॉकः 31 मई 2020

आदेश अन्तर्गत धारा–144 सी0आर0पी0सी0

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ कार्यालय के पत्रांक 1382/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 31.05.2020 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनॉक 30,मई,2020 कोविड–19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाऊन दिनॉक 01.06.2020 से दिनॉक 30.06.2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनॉक 31.05.2020 के कम में निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते है:–

1– रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति/वाहन आदि का आवागमन निषिद्व रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर)

2– जिले के समस्त शासकीय/अर्द्व–शासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियो की उपस्थिति के साथ खुलेगें, किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु प्रत्येक कार्यालय के कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि वे आवश्यक होने पर कार्यालय स्टाफ को तीन पालियो (प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से सॉय 5.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सॉय 06.00 बजे तक तथा तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सॉय 07.00 बजे तक) में विभाजित करके बुलाया जायेगा। कार्यालय में सेनेटाईजेशन, फेस–मास्क, फेस कवर, सोशल–डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

3– सभी प्रकार की औद्योगिक ईकाइयां जो कन्टेनमेंट जोन के बाहर हैं संचालित होंगी। औद्योगिक ईकाइयों को थर्मल–स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस मास्क/फेस–कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टंन्सिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक ईकाइयों के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्गत आदेश संख्या–2242/एस0टी0–ए0डी0एम0 दिनांक 18 मई, 2020 यथावत लागू रहेगा। औद्योगिक ईकाइयों के अधिकारी/कर्मचारीगण अर्न्तजनपदीय संचरण नहीं करेंगें।

4– शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मण्डी नही लगायी जायेगी।

5– मिठाई की दुकानें/रेस्टोरेन्ट/ब्रेकरी की दुकाने रोस्टर से मुक्त रहेगी, (प्रतिदिन खुलेगी) प्रतिष्ठान खुलने का समय प्रातः 09.00 बजे से सॉय 05.00 बजे तक रहेगा। होम डिलीवरी प्रातः 09.00 बजे से सॉय08.00 बजे तक दे सकते है, परन्तु निम्न प्रतिबन्ध लागू रहेगेः–

1:– बगैर मास्क पहने किसी व्यक्ति को दुकान में न तो प्रवेश दिया जायेगा और न ही बिक्री की जायेगी।
2:– दुकानदार स्वयं सैनेटाईजर उपलब्ध कराकर ग्राहक को सैनेटाईज करायेंगे।
3:– रसोई एवं डायनिंग एरिया में 01 माह बैक–अप की सुविधा सहित अनिवार्य रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाया जायेगा।
4:– समस्त कर्मी फेस मास्क, हैड कवर, शू–कवर तथा दस्ताने पहनेंगे।
5:– किसी भी प्रकार की डायनिंग एरिया में बैठाकर खिलाने की व्यवस्था नहीं दी जायेगी।
6:– पुराना बचा हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ अथवा रॉ मैटिरियल प्रयोग में नहीं लायेंगे।
7:– कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।
8:– सभी कर्मचारियों का नियमित रूप से थर्मल स्केनिंग करायेंगे तथा कोविड का कोई भी लक्षण पाये जाने पर तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ को सूचित करायेंगे।
9:– प्रतिष्ठान को नियमित रूप से ब्लिचिंग पाऊडर/सोडियम हाईपोक्लोराईड से सैनेटाईजेशन कराना अनिवार्य होगा।
10:– ग्राहकों का बैठना निषेध होगा और परिसर के सामने पटरी पर कोई सामान नहीं बेचा जायेगा।
11:– साप्ताहिक बन्दी के दिन कारोबार बन्द रहेगा, शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।
12:– रेस्टोरेन्ट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। ग्राहकों को बैठाकर खिलाना निषेध होगा।

6— बारात घर में 30 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नही होगी। शादी/बारात घर में किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

7— सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकाने पूर्व में जारी रोस्टर के अनुसार निम्न शर्तो के साथ प्रातः 09.00 बजे से सॉय 05.00 बजे तक खुलेगी:—

1:— सैलून/ब्यूटी पार्लर कर्मचारी द्वारा मास्क/ग्लब्ज का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रत्येक ग्राहक की सेवा के बाद अपने हाथों को सैनेटाईज किया जायेगा, जिससे संक्रमण एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक में न फैले। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी जायेगी।

2:— सभी सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक अपने प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेन्सिंग एवं हैण्ड सैनेटाईजेशन का अनुपालन करेंगे एवं दुकान को लगातार डिस्इंफैक्ट करेंगे तथा एक ग्राहक की कटिंग या ट्रिमिंग के उपरान्त दुकान को पूर्णतया साफ करेंगे, तभी अन्य ग्राहक को प्रवेश देंगे।

3:— कोई भी सैलून/ब्यूटी पार्लर यदि 04 सीटर है, तो एक समय में केवल 02 ही ग्राहकों को सोशल डिस्टेन्सिंग के दृष्टिगत दुकान में प्रवेश दिया जायेगा तथा दोनों ग्राहकों की सीटों में उचित दूरी रखी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में केवल एक ही ग्राहक को दुकान में प्रवेश दिया जायेगा।

4:— ग्राहक यदि चाहे, तो सैलून/पार्लर में अपना सैनेटाइज्ड कपड़ा/नैपकीन इत्यादि स्वयं लायेंगे। सैलून/ब्यूटी पार्लर स्वामी द्वारा ग्राहकों के लिये दुकान से कोई भी कपड़ा उपयोग हेतु नहीं दिया जायेगा, अपितु मात्र डिस्पोजेबल टिशू अथवा नैपकीन का प्रयोग किया जा सकता है। ग्राहक सेवा के उपयोग के उपरान्त तत्काल अपने घर पर जाकर नहायेंगे तथा उपयोग किये गये कपड़े का अलग से डिर्जेन्ट/साबुन के घोल में डालकर तुरन्त साफ करेंगे एवं इन कपड़ों को परिवार के अन्य कपड़ों के साथ नहीं मिलायेंगे।

5:— सैलून/ब्यूटी पार्लर में उपयोग होने वाले समस्त सौन्दर्य प्रसाधन के उपकरण यथा ब्लेड, ब्रश, कैंची, उस्तरा, कंघा, कंघी, हेयर कलर ब्रश तथा स्प्रे आदि को पूरी तरह से डिस्इंफैक्ट (हाईपोक्लोराईड/ गर्म पानी/ साबुन का घोल) करने के बाद ही उपयोग किये जायेंगे एवं एक ग्राहक पर उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त अन्य ग्राहक पर उपयोग करने से पूर्व पुनः डिस्इंफैक्ट/ सैनेटाइज करेंगे।

6:— सैलून/ब्यूटी पार्लर में ऐसा कोई भी सौन्दर्य प्रसाधन जैसे थ्रेडिंग, जिसमें मुंह में धागा दबाकर लार का उपयोग होता है, का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा। फिटकरी जैसी वस्तु, जिसका बार—बार अलग—अलग ग्राहकों पर प्रयोग होता है, का प्रयोग वर्जित रहेगा।

7:— सभी सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक अपनी सेवा हेतु दूरभाष पर ही ग्राहकों की अग्रिम बुकिंग करते हुये उनका समय निर्धारित कर अवगत करायेंगे, जिससे प्रतिष्ठान पर अनावश्यक भीड़ न हो। इस हेतु अपने प्रतिष्ठान के बाहर बड़े—बड़े अक्षरों में अपना मोबाईल नम्बर का बोर्ड प्रदर्शित करेंगे।

8:— कोई भी ग्राहक, सैलून, ब्यूटी पार्लर में मोबाईल फोन, चश्मा, समाचार पत्र आदि नहीं ले जायेगा और न ही सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक अपने यहां पत्रिका/समाचार पत्र आदि रखेगा, जिससे संक्रमण फैल सकता हो।

9:— सभी सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक एवं ग्राहकों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

10:— सभी सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक ऐसी सेवा, जिसमें हाथों का अधिक स्पर्श करना आवश्यक हो, यथा फैशियल, मसाज, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, मालिश आदि नहीं करेंगे। सभी ग्राहक शेविंग यथा सम्भव अपने घर पर ही करेंगे। केवल कटिंग, ट्रिमिंग जैसी प्रकिया, जिसमें कम हाथ का स्पर्श शामिल है, ही सैलून/पार्लर में किया जायेगा।

11:— सभी सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक सभी ग्राहकों हेतु एक रजिस्टर तैयार करेंगे, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नम्बर रखा जायेगा।

12:— यह सभी निर्देश सभी सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालकों द्वारा अपनी—अपनी दुकानों में बड़े—बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जायेगा।

13:— हॉट स्पॉट/कन्टेनमेन्ट जोन/बफर जोन में कोई सैलून/ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेगा तथा न ही कोई व्यक्ति हॉट स्पॉट/कन्टेनमेन्ट जोन/बफर जोन से निकलकर सैलून/ब्यूटी पार्लर जायेगा।

8— नर्सिंग होम/प्राईवेट अस्पतालो को इमरजेन्सी एंव आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनमुति दी जायेगी ।

9— इस अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने—अपने घरों में रहेंगे, सार्वजनिक स्थानो पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

10— कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर जनपद की सीमा के अन्तर्गत टैक्सी/कार में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठायें जायेगें, फेस–मास्क/फेस कवर, पहनना अनिवार्य होगा। गाड़ी का उपयोग करने से पूर्व एवं उपयोग करने के पश्चात सेनेटाइजेशन करना अनिवार्य होगा।

11— दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हैलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

12— सभी प्रकार के वाहनो के संचालन में शासन द्वारा निर्गत निर्देशो का पालन न करने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट एंव एपेडैमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

13— समस्त प्रकार के वाहनो में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य–सेतु एंव आयुष–कवच कोविड–ऐप डाउन लोड कर प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

14— स्कूल/कॉलेज/शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।

15— बैक, इन्शोरेन्स आफिस, ए0टी0एम0, प्रिन्ट एंव इलैक्ट्रिानिक मीडिया, समस्त दूर संचार सेवाये, सभी आवश्यक बस्तुओं जिसमें भोजन,दवा, चिकित्सा उपकरण एंव ई–कामर्स भी सम्मिलित है को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा विभागीय अधिकारी द्वारा अनुमन्य पहचान–पत्र ही पास के रूप में अनुमन्य होगें।

16— इस अवधि में नागरिकगण Social Distancing गाइडलाईन का पालन करेंगे एवं केवल अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों/सेवाओं हेतु ही बाहर निकल सकेंगे।

17— सभी धार्मिक स्थल मन्दिर,मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, मठ एवं ऐसे स्थल जहॉ जनसामान्य एकत्रित होता है 08 जून से पहले तक बन्द रहेंगे। 08 जून से धार्मिक गतिविधियों की अनुमति होगी जहॉ 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबन्धित होगा।

18— सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद, मनोरंजन,सांस्कृतिक कार्यक्रमो से सम्बन्धित आयोजनो को प्रतिबन्धित किया जाता है।

19— कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियो के इकट्ठा नही होने देगा ।

20— सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।

21— समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रूग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरो के अन्दर ही रहेगें, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।

22— निजी/सरकारी कार्यालयों/संगठनो के प्रमुख/विभागाध्यक्ष समस्त कर्मिकों के लिये "आरोग्य सेतु" ऐप एंव आयुष कवच कोविड ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेगे।

23— हॉट स्पॉट एंव कन्टेनमेंट जोन में पूर्व की तरह समस्त प्रतिबन्ध लागू रहेगे। **कन्टेनमेन्ट जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में बाहर जाने की अनुमति नही होगी और न ही कोई व्यक्ति बाहर से अन्दर की तरफ जायेगा ।** कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग/स्वच्छता, डोर स्टेप डिलिवरी ही अनुमन्य होगी।

24— राज्य के अन्दर एंव राज्य से बाहर चिकित्सक, नर्स एंव पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध के आवागमन की अनुमति होगी।

25— समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।

किसी भी आपातकाल के लिये जनपद मुख्यालय पर स्थित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष सं0 0122–2304834 पर सम्पर्क करें। लोक स्वास्थ्यहित को दृष्टिगत रखते हुये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियत्रंक कार्यवाही की जायेगी।